

डिब्री बमुकदमें ईबतदाई  
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 250/2023 अन्तर्गत धारा 88,53 आरटीएक्ट

जयपाल पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी खोडा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. मनीराम पुत्र सावतांराम जाति जाट निवासी खोडा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. हरीकृष्ण पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी खोडा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3. बिमला पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी खोडा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
4. मैनावती पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी खोडा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
5. राधा पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी खोडा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
6. सन्तोष देवी पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी खोडा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर जिला हनुमानगढ़।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री विनोद कुमार स्वामी वकील-वादी

श्री विनोद कुमार राहड़ वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 6

राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 7

निर्णय दिनांक- 22.04.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ रवि कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि :-

1. वादी जयपाल को चक नम्बर 2 सीएलडी के खाता संख्या 33/29 के पत्थर नम्बर 13/35(20) के किला नम्बर 5, पत्थर नम्बर 13/41(3) के किला नम्बर 18, 21/1, 22/2, 23/2 व पत्थर नम्बर 13/42(16) के किला नम्बर 7, 8, 13, 14, 17 ता 19, 22 ता 24, पत्थर नम्बर 13/43(21) के किला नम्बर 1 इस प्रकार कुल 3.9090 हैक्टेयर में से 1.3250 हैक्टेयर कमाण्ड कृषि भूमि, रोही मौजा खोडा बारानी के खाता संख्या 25/25 के खसरा नम्बर 79/36 की 2.934 है., खसरा नम्बर 45 की 13.3420 हैक्टेयर में से 1.2650 हैक्टेयर कृषि भूमि व चक नम्बर 3 के.डी.डी. के खाता संख्या 34/25 के पत्थर नम्बर 72/11(10) के किला नम्बर 17 ता 19,20/2, 21/1, 22/2, 23/2, 24/1, 25/1, 25/3 व पत्थर नम्बर 72/12(15) के किला नम्बर 1 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 8 की 3.9960 हैक्टेयर में से 1.9980 हैक्टेयर कृषि भूमि का,
2. प्रतिवादी संख्या 1 मनीराम को चक नम्बर 2 सीएलडी के खाता संख्या 33/29 के पत्थर नम्बर 13/35(20) के किला नम्बर 5, पत्थर नम्बर 13/41(3) के किला नम्बर 18, 21/1, 22/2, 23/2 व पत्थर नम्बर 13/42(16) के किला नम्बर 7, 8, 13, 14, 17 ता 19, 22 ता 24, पत्थर नम्बर 13/43(21) के किला नम्बर 1 इस प्रकार कुल 3.9090 हैक्टेयर में से 1.2650 हैक्टेयर कमाण्ड कृषि भूमि, रोही मौजा खोडा




सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
रावतसर



खाता संख्या 25/25 के खसरा नम्बर 45 की 13.3420 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 79/36 की 2.9340 हैक्टेयर में से 1.538 हैक्टेयर कृषि भूमि का,  
3. प्रतिवादी संख्या 2 हरीकृष्ण को चक नम्बर 2 सीएलडी के खाता संख्या 33/29 के पत्थर नम्बर 13/35(20) के किला नम्बर 5, पत्थर नम्बर 13/41(3) के किला नम्बर 18, 21/1, 22/2, 23/2 व पत्थर नम्बर 13/42(16) के किला नम्बर 7, 8, 13, 14, 17 ता 19, 22 ता 24, पत्थर नम्बर 13/43(21) के किला नम्बर 1 इस प्रकार कुल 3.9090 हैक्टेयर में से 1.3190 हैक्टेयर कमाण्ड कृषि भूमि, रोही मौजा खोडा बरानी के खाता संख्या 25/25 के खसरा नम्बर 45 की 13.3420 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 79/36 की 2.934 है. में से 1.2650 हैक्टेयर कृषि भूमि, चक नम्बर 3 के.डी.डी. के खाता संख्या 34/25 के पत्थर नम्बर 72/11(10) के किला नम्बर 17 ता 19,20/2, 21/1, 22/2, 23/2, 24/1, 25/1, 25/3 व पत्थर नम्बर 72/12(15) के किला नम्बर 1 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 8 की 3.9960 हैक्टेयर में से 1.9980 हैक्टेयर कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेंगे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 22.04.2024 को जारी की गई।

  
(संजय कुमार)  
सहायक कलक्टर एवं  
सुपरवाइजर अधिकारी  
राजस्व विभाग  
राजसूर